मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

ब्लाक–1, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

(मुख्य कार्यालय –59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल)

क्रमांक/ 5129 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2012, भोपाल, दिनांक25/05/ 2012

प्रति,

1. **कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक**
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक**
   महात्मा गांधी नरेगा
   जिला– समस्त (म.प्र.)
3. **कार्यपालन यंत्री**
   समस्त संभाग (म.प्र.)

विषयः **मनरेगा अंतर्गत नवीन उपयोजना "आंतरिक पथ" के संबंध में।**

संदर्भः **1. विभाग का पत्र क. 9777/ MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2011, भोपाल, दिनांक 10.10.2011**

राज्य की महत्वाकांक्षी योजना पंच परमेश्वर व मनरेगा के अभिसरण से ग्रामों में आंतरिक सीमेन्ट कांक्रीट सडकों के निर्माण हेतु निर्देश विभाग के संदर्भित पत्रों से जारी किये गये है। प्रदेश में कतिपय जिले में सीमेन्ट कांक्रीट की सडको का निर्माण बिना मिक्सर, वाइब्रेटर उपयोग किये एवं नाली का निर्माण किये बगैर किया जा रहा है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि सडक निर्माण हेतु विभाग से जारी सभी निर्देशों का कडाई से पालन कर ही सडको का निर्माण कार्य कराया जावे। कार्यो के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु निर्माण कार्य की प्रकिया के विस्तृत निर्देश भी पत्र क. 1785 दिनांक 17.02.2012 से जारी किये गये है।

20 अप्रैल 2012 को प्रमुख सचिव द्वारा वीडियों कांफ्रेसिंग के दौरान भी कार्यो की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिये गये है साथ ही यह कहा गया है निर्माण कार्य उपरांत 4 सप्ताह तक तराई (Curring) हेतु पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं होने पर सडक निर्माण हेतु आधार तैयार करा लिया जावे एवं प्रथम वर्षा के समय सीमेन्ट कांक्रीट का कार्य कराया जावे, ताकि पर्याप्त तराई के अभाव में कार्य की गुणवत्ता प्रभावित न हो।

उक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित कराया जावे।

(नीरज मण्डलोई)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

कमांक/ 5130 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2012, भोपाल, दिनांक25/05/ 2012

प्रतिलिपिः– कमिश्नर समस्त संभाग म.प्र. ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्